

बिज व दखील है, जिस पर कृषिक कार्य नही होता है। अतः उक्त आराजी को अकृषिक
मुक्त किया जाय।

नियमानुसार तहसीलदार फूलपुर से जांच आख्या आहूत की गई। तहसीलदार फूलपुर द्वारा अपन
में यह उल्लिखित किया गया है कि मौजा मुबारकपुर परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर जिला प्र
आराजी सं० 597 रकबा 1.5980 में से 0.8210हे० पर कृषि कार्य नही किया जा रहा है। दिनांक 10.0
न्दी अधिकारी फूलपुर द्वितीय द्वारा उल्लिखित किया है कि ग्राम मुबारकपुर परगना सिकन्दरा तहसील
प्रयागराज के आधार वर्ष खतौनी 1423-1428फ० आराजी सं० 597 रकबा 1.5980हे० में 0.7980
लाल डा० के० एल० पटेल एजुकेशनल चैरिटेबल ट्रस्ट दयाल फूलपुर प्रयागराज द्वारा मैनेजिंग ट्रस्ट न
राम निहोर निवासी ग्राम व पो० कपसा परगना सिकन्दरा तहसील फूलपुर जिला प्रयागराज का नाम
मा सहसंक्रमणीय भूमिधर के रूप में अंकित है। तहसीलदार फूलपुर द्वारा अपनी जांच आख्या में उक्त
अकृषिक घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गई है। वादी ने अपने साक्ष्य में मु० 1000/-रू०
लान संख्या HO00041 दिनांक 24.08.2023 व मु० 38000/-रू० ट्रेजरी चालान संख्या HO00040 दिनांक
23 व मु० 38000/-रू० ट्रेजरी चालान संख्या HO00039 दिनांक 24.08.2023 व 41 व 45 व 1359 व स
आराजी की फोटो देकर अपना साक्ष्य पूर्ण किया। उपरोक्त के आधार पर उक्त आराजी को अकृषिक घोषि
ाने में कोई विधिक अड़चन नही है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि तहसीलदार फूलपुर की जांच आख्या के आधार पर मौजा मुबारकपुर प
सिकन्दरा तहसील फूलपुर जिला प्रयागराज के आराजी सं० 597 रकबा 1.5980 में से 0.8210हे० भूमि को
राजस्व संहिता-2006 की धारा 80 के तहत अकृषिक घोषित करते हुए लगान मुक्त की जाती है। प
अमलदरामद जारी हो। तहसीलदार फूलपुर की जांच आख्या अदिनांकित आदेश का अंग होगी। आदेश की
प्रति उपनिबंधक फूलपुर को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जावे। बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली द
दफ्तर हो।

11/9/23
(सौरभ भट्ट)
उपजिलाधिकारी फूलपुर
प्रयागराज।